

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022

दिनांक 02/08/2025

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्या:41/छ:-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 01.08.2025 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. मां, पिता व बहन की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करने वाली घटना का थाना कोतवाली, गाजीपुर पुलिस द्वारा सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त बेटे को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजीपुर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे चेकिंग, अभियान वांछित व एनबीडब्लू व पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर गाजीपुर के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर गाजीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 27.07.2025 को वादी श्री अमरनाथ यादव पुत्र स्व० टेनी यादव निवासी डिलियां थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर के पटिदार अभियुक्त अभय यादव द्वारा घरेलू भूमि विवाद को लेकर अपने पिता शिवराम यादव उम्र करीब 65 वर्ष, माता जमुनी देवी उम्र करीब 60 वर्ष व बहन कुसुम देवी उम्र करीब 36 वर्ष को घर के बाहर कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में वादी श्री अमरनाथ यादव उपरोक्त की तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 564/2025 धारा 103(1) बी०एन०एस० बनाम अभय यादव पुत्र शिवराम यादव निवासी डिलिया थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 01.08.2025 को मुखबिरी सूचना के आधार पर वांछित व पुरस्कार घोषित अभियुक्त अभय यादव उर्फ भुट्टन यादव पुत्र स्व० शिवराम यादव निवासी डिलियां थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर को चौकिया तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता -

1. अभय यादव उर्फ भुट्टन पुत्र स्व० शिवराम यादव निवासी डिलिया थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 38 वर्ष

विवरण पूछताछ - अभियुक्त से पूछताछ पर बताया गया कि मेरी बहन कुसुम यादव की पहली शादी दान दहेज देकर ग्राम जैतपुरा में किया गया था। वहाँ मे शादी छूटने पर दोबारा शादी हाथीखाना में किया गया था। वहाँ भी बहन द्वारा सम्बन्ध खराब कर लिया गया। मेरे माँ बाप को मेरे खिलाफ खड़ा करके मेरी 01 बीघा 4 बिस्वा 10 धूर जमीन अपने नाम करा ली। मेरे माँ बाप मेरी बहन की बात मानते थे। मेरी बहन मुझे बरबाद करने पर तुली थी। इसी कारण मेरे द्वारा दिनांक 27.07.2025 को पहले बहन को उसके बाद माँ को फिर पिता को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दिया गया था। साहब उस समय मैं जमीन के लालच में क्रोध में होने के कारण अपने ही माँ, बाप, बहन को मार दिया।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 564/2025 धारा 103(1) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

02. थाना नन्दगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 221/2025 धारा 65(2), 191(2), 115(2), 333, 351(3) बी0एन0एस0 व 5L/6 एवं 5M/6 पॉक्सो एक्ट में नामित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 01.08.2025 को उ0नि0 श्री सन्तोष कुमार यादव मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन, तलाश वांछित अभियुक्त के घर व मिलने के सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी कि मुखबिर खास की सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 221/2025 धारा 65(2), 191(2), 115(2), 333, 351(3) बी0एन0एस0 व 5L/6 एवं 5M/6 पॉक्सो एक्ट में नामित बाल अपचारी उम्र करीब 17 वर्ष को पहलवानपुर पुलिस बहदू ग्राम पहलवानपुर थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर से नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 30.07.2025 को वादिनी मुकदमा श्रीमती कमली देवी पत्नी शोभनाथ निवासी ग्राम पठानपुर थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर के लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत है। अभिरक्षा में लिए गये बाल अपचारी के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 221/2025 धारा 65(2), 191(2), 115(2), 333, 351(3) बी0एन0एस0 व 5L/6 एवं 5M/6 पॉक्सो एक्ट

03. थाना खानपुर पुलिस टीम द्वारा 21.052 किग्रा अवैध गांजा व 01 अदद पल्सर मोटरसाईकिल के साथ 02 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 31.07.2025 को उ0नि0 कमल भूषण राय मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना के आधार पर अभियुक्तगण 1. आदित्य सिंह उर्फ भोलू पुत्र संजय सिंह निवासी ग्राम कमहरिया थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 2. निखिल सिंह पुत्र शिवाजी सिंह निवासी ग्राम रामपुर थाना खानपुर जनपद गाजीपुर को बिछुड़न नाथ मन्दिर तिराहा के पास थाना

खानपुर से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 21.052 किग्रा अवैध गांजा तथा 01 अदद पल्सर मोटरसाईकिल बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 220/25 धारा 8/20(B)/60 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. आदित्य सिंह उर्फ भोलू पुत्र संजय सिंह निवासी ग्राम कमहरिया थाना तरवां जनपद आजमगढ़
2. निखिल सिंह पुत्र शिवाजी सिंह निवासी ग्राम रामपुर थाना खानपुर जनपद गाजीपुर

आपराधिक इतिहास:-

आदित्य सिंह उर्फ भोलू पुत्र संजय सिंह निवासी ग्राम कमहरिया थाना तरवां जनपद आजमगढ़

01. मु0अ0सं0 220/2025 धारा 8/20(B)/60 NDPS Act थाना खानपुर जनपद गाजीपुर

निखिल सिंह पुत्र शिवाजी सिंह निवासी ग्राम रामपुर थाना खानपुर जनपद गाजीपुर

01. मु0अ0सं0 54/2025 धारा 305(e), 317(2), 331(4) बीएनएस थाना खानपुर जनपद गाजीपुर

02. मु0अ0सं0 22/2025 धारा 305 (e), 317(2), 331(4) बीएनएस थाना खानपुर जनपद गाजीपुर

03. मु0अ0सं0 220/2025 धारा 08/20(B)/60 NDPS Act थाना खानपुर जनपद गाजीपुर

बरामदगी-

21.052 किग्रा अवैध गांजा तथा 01 अदद पल्सर मोटरसाईकिल

04. थाना जंगीपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 152/2025 धारा 137(2), 64(1), 87 बी0एन0एस0 व 5L/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 01.08.2025 को उ0नि0 जमालुद्दीन मय हमराह द्वारा थाना जंगीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 152/2025 धारा 137(2), 64(1), 87 बी0एन0एस0 व 5L/6 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त पवन राजभर पुत्र बलिराम राजभर निवासी ग्राम बेलसागर थाना काराकाट (गोडारी) जनपद रोहतास (बिहार) को नवापुर चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त का विवरण -

1. पवन राजभर पुत्र बलिराम राजभर निवासी ग्राम बेलसागर थाना काराकाट (गोडारी) जनपद रोहतास (बिहार) उम्र करीब 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास -

मु0अ0सं0 152/2025 धारा 137(2), 64(1), 87 बी0एन0एस0 व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर